निर्णय व इजलास राजन विशाल आई.ए.एस.जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 01/2022 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

विक्रम सिंह पुत्र श्री सागर सिंह राजपूत निवासी ढाणी बालाण, तहसील खेतड़ी, जिला झुन्झुनू, हाल निवासी वृजबाला कालोनी, मोती बच्चा कुम्हारों की ढाणी के पास, माचड़ा, तहसील व जिला जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री [illegible]कान्त कटारा आर.ए.एस. पीठासीन अधिकारी उपखण्ड मजिस्ट्रेट दक्षिण जयपुर (सहायक कलक्टर)
2. श्रीमती प्रमिला यादव पुत्री दयानन्द यादव जाति अहीर निवासी ए-102, आनन्द विहार, झोटवाड़ा, जयपुर ।
3. श्रीमती मिनाक्षी गोयल पत्नी श्री रवि गोयल जाति महाजन निवासी बी-7, मेटल कालोनी, सीकर रोड, जयपुर ।
4. श्रीमती अनिता गर्ग पत्नी श्री राधाकिशन गर्ग जाति महाजन, निवासी 28, चन्दपुरी, हवा सड़क, जयपुर ।
5. श्रीमती पूनम अग्रवाल पत्नी श्री इन्दनारायण अग्रवाल
6. श्रीमती लक्ष्मी गुप्ता पत्नी श्री सुरेश नारायण अग्रवाल

   समस्त जाति महाजन, निवासी ए-479, वैशाली नगर, जयपुर, तहसील व जिला जयपुर ।
7. श्रीमती भगवती देवी कोठारी पत्नी श्री जगदीश प्रसाद जाति महाजन निवासी एफ-199, श्याम नगर, जयपुर, तहसील व जिला जयपुर ।
8. श्रीमती बनारसी देवी पत्नी श्री निरंजन लाल गुप्ता
9. श्रीमती उमा गुप्ता पत्नी श्री महेश कुमार गुप्ता
10. श्रीमती सरोज गुप्ता पत्नी श्री सुरेश कुमार गुप्ता

    समस्त जाति महाजन, निवासी प्लाट नं. 80, जय किसान कालोनी-II,टोंक रोड, जयपुर ।
11. सुरेश दत्तक पुत्र ओंकार जाति अहीर निवासी ग्राम गोद, तहसील नारनौल, जिला महेन्द्रगढ़, हरियाणा, हाल आबाद ग्राम माचड़ा, तहसील आमेर, जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 236 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत उपखण्ड मजिस्ट्रेट दक्षिण जयपुर (सहायक कलक्टर) के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 83/2019 व उनवानी बनारसी देवी बनाम विक्रम सिंह व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने ।

उपस्थित-

1. श्री रामसिंह राठौड़ अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री सी.पी. बनाई अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से ।
3. श्री सत्यनारायण शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 8 व 9 की ओर से।
4. श्री हेमन्त दीक्षित अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 11 की ओर से ।

जिला कलक्टर
जयपुर

निर्णय दिनांक 20.01.2022

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड मजिस्ट्रेट दक्षिण जयपुर (सहायक कलक्टर) के समक्ष प्रकरण संख्या 53/2019 व उनवानी बनारसी देवी बनाम विक्रम सिंह व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड मजिस्ट्रेट दक्षिण जयपुर (सहायक कलक्टर) से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री सी.पी. बलाई उपस्थित है। अप्रार्थी संख्या 8 व 9 की ओर से अधिवक्ता श्री सत्यनारायण शर्मा ने उपस्थित होकर शीघ्र सुनवाई प्रार्थना पत्र पेश किया। अप्रार्थी संख्या 11 की ओर से अधिवक्ता श्री हेमन्त दीक्षित ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया । उभय पक्ष को सुन कर शीघ्र सुनवाई प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया।
3. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि दिनांक 05.01.2022 को पत्रावली में तारीख पेशी कुर्रेजात रिपोर्ट के जवाब हेतु नियत थी। प्रार्थी कोर्ट में उपस्थित हुआ तो पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रार्थी को उक्त प्रार्थना पत्र पर फाईनल बहस करने को कहा गया। प्रार्थी द्वारा अपने अधिवक्ता को सूचना दी कि उक्त प्रार्थना पत्र वास्ते कुर्रेजात रिपोर्ट के जवाब हेतु नियत है। इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र में अभी अन्तिम बहस नहीं होकर प्रार्थना पत्र कुर्रेजात आपत्ति का जवाब प्रस्तुत करने हेतु पत्रावली नियत है। प्रार्थी द्वारा उक्त सूचना पीठासीन अधिकारी को दी गई तो पीठासीन अधिकारी द्वारा कहा गया कि उक्त पत्रावली उनके निजी मिलने वाले की है । आप आज बहस करते हो तो ठीक है, अन्यथा उक्त पत्रावली में दिनांक 05.01.2022 को आपको सुने बिना निर्णय पारित कर दूंगा। इस पर प्रार्थी के अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुये और प्रार्थना पत्र कुर्रेजात आपत्ति का जवाब प्राप्त कर बहस हेतु समय चाहा, परन्तु पीठासीन अधिकारी ने समय नही देकर उक्त पत्रावली को वास्ते अन्तिम निर्णय हेत हेतु दिनांक 13.01.2022 रिजर्व रख ली। इससे प्रार्थी को यह अन्देशा हो गया कि अप्रार्थीगण पीठासीन अधिकारी से मिले हुये है तथा पीठासीन अधिकारी ने पहले से ही इसको प्रार्थी के विरूद्व निस्तारित करने का मानस बना रखा है जिससे प्रार्थी को अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी से न्याय की उम्मीद नहीं है। अप्रार्थीगण पीठासीन अधिकारी से मिलीभगत कर उक्त प्रकरण में निर्णय अपने पक्ष में करवाना चाहते है। गत चार–पांच दिनों से पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में बैठे रहते है। दिनांक 05.01.2022 को तारीख पेशी पर अप्रार्थीगण संख्या 8 लगायत 10 ने प्रार्थी को धमकी दी कि हमारी पीठासीन अधिकारी से बात हो चुकी है। उक्त प्रकरण का निर्णय जल्दी हमारे पक्ष में करवा लेंगे। अप्रार्थीगण की उक्त हरकतों को देख कर प्रार्थी आश्चर्यचकित हो गया कि ये कैसे हुआ ? जब अप्रार्थीगण, अप्रार्थी संख्या 1 से मिल गये है तो फिर प्रार्थी को न्याय प्राप्त होना असम्भव है। इस प्रकार प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय से न्याय प्राप्ति की कोई उम्मीद नही रही है। ऐसी स्थिति में उक्त मामले को अन्य न्यायालय में निस्तारण हेतु ट्रान्सफर किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थी एक गरीब काश्तकार है तथा प्रार्थी के पास वाद अधीन भूमि के अलावा अन्य कोई जीविकोपार्जन का साधन नहीं है। अप्रार्थीगण अपनी गैर कानूनी हरकतों से पीठासीन अधिकारी से सांठ गांठ कर प्रार्थी के विरूद्व निर्णय करवा लेते है, तो वो अपने वैधानिक अधिकारों से वंचित हो

जिला कलक्टर
जयपुर

जायेगा। ऐसी स्थिति मे न्याय की दृष्टि से प्रार्थी के मुकदमे को अन्य न्यायालय मे हस्तान्तरण किया जाना आवश्यक है। न्याय की मंशा यही है कि अधीनस्थ न्यायालय मे प्रकरण विचाराधीन होते हुये प्रार्थी को ऐसा प्रतीत भी होना आवश्यक है कि उसे न्याय प्राप्त होगा। इसी सन्दर्भ मे राजस्व मण्डल एवं माननीय उच्च न्यायालय ने अपने अनेको निर्णयो में यही प्रतिपादित किया है कि जब परिवादी को न्याय प्राप्त नही होने की आशंका हो तो प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय मे स्थानान्तरित किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय मे मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावे।

5. अप्रार्थी संख्या 2, 8, 9 व 11 के सुयोग्य अधिवक्ताओं ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि प्रार्थी ने सरासर गलत व मनघडन्त आरापो के साथ यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी प्रकरण का निस्तारण नही होने देना चाहता है। इसलिए प्रकरण के निस्तारण मे विलम्ब किये जाने की मन्शा से यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। फिर भी यदि मान्य न्यायालय द्वारा अन्यत्र न्यायालय मे प्रकरण का स्थानान्तरण किया जाता है तो एक तारीख निश्चित करके अन्य किसी भी न्यायालय मे स्थानान्तरण कर दिया जावे।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. यद्यपि उपखण्ड मजिस्ट्रेट दक्षिण जयपुर (सहायक कलक्टर) ने अपनी टिप्पणी मे प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपो का खण्डन किया है, किन्तु प्रार्थी ने पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने पर शंका जाहिर की है। न्याय का नैसर्गिक सिद्धान्त है कि न्याय किया जाना ही आवश्यक नही है, बल्कि न्याय किया गया है, ऐसा लगना भी चाहिये। न्याय की इसी भावना को मध्यनजर रख कर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण अन्य न्यायालय मे मुन्तकिल किया जाना न्याय संगत है। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता भी प्रकरण का अन्यत्र सक्षम न्यायालय मे स्थानान्तरण किये जाने पर सहमत है। जयपुर मुख्यालय पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट उत्तर जयपुर (सहायक कलक्टर) का न्यायालय भी स्थापित है, जिसमें इस प्रकरण को अन्तरित किया जा सकता है। इससे किसी पक्षकार को असुविधा भी नही होगी। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

8. न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट दक्षिण जयपुर (सहायक कलक्टर) के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 53/2019 ब उनवानी बनारसी देवी बनाम विक्रम सिंह व अन्य को न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट उत्तर जयपुर (सहायक कलक्टर) मे मुन्तकिल किया जाता है।

9. पक्षकारान न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट उत्तर जयपुर (सहायक कलक्टर) के समक्ष सुनवाई हेतु दिनांक 07.02.2022 को उपस्थित हो। खण्ड मजिस्ट्रेट उत्तर जयपुर (सहायक कलक्टर) प्रकरण दर्ज कर उभयपक्ष को गुणावगुण एवं मैरिट पर सुनकर निस्तारण करना सुनिश्चित करे।

10. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा उपखण्ड मजिस्ट्रेट दक्षिण जयपुर (सहायक कलक्टर) व उपखण्ड मजिस्ट्रेट उत्तर जयपुर (सहायक कलक्टर) को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

11. निर्णय आज दिनांक 20.01.2022 को सरे इजलास सुनाया गया ।

20/01/22

(… विशाल)
जिला कलक्टर
जयपुर